

eCircular

Dept : Dept : PBD DEPARTMENT

Sl. No.: 034/2014

Circular Letter No. PBD/2/2014

10 May 2014

## All Branches/Controlling Authorities and Departmental Heads at Head Office/ Centralised Processing Centers

## Subject :EDUCATION LOAN TO STUDENT'S OF JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR

## ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के छात्राओं को शिक्षा ऋण सुविधा

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय को वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। इसे भारत के प्रथम निजी महिला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालयों के (AIU) संघ का सदस्य है। इसे UCG, BCI (बार काउंसिल ऑफ इण्डिया), PCI (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया), DEC-( डिस्टेंस शिक्षा काउंसिल ऑफ इण्डिया), UCG, AICTC एवं DEC की त्रिपक्षीय समिति एवं प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार अन्य संस्थानों से मान्यता प्राप्त है।

यह विश्वविद्यालय हाई टेक आधारभूत संसाधनों के साथ नवीन उपकरण एवं डिजिटल पुस्तकालय से युक्त है। यहाँ छात्र सभी प्रकार की शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों जैसे – इंजीनियरींग, मैनेजमेंट, हुमैनिटिज, फार्मास्युटिकल सांइस , आर्कीटैक्चर और एप्लाइड आर्ट, लॉ और गवर्नेंस इत्यादि प्राप्त कर रहे हैं।

इस विश्वविद्यालय का बैंकिंग व्यवहार हमारी आई.एफ.बी.- जयपुर शाखा से है जहाँ से वे क्रेडिट सुविधा का भी उपभोग कर रहे हैं। यह पाया गया है कि जब छात्रा हमारी शाखाओं में शिक्षा ऋण हेतु आती हैं तो शखाएं उनसे विश्वविद्यालय के साख एवं रेपुटेशन के बारे में पुछते हैं जो ऋण प्रक्रिया में देरी का कारण बनता है।

चूंकि यह एक महिलाओं के लिए विश्व विद्यालय है एवं महिलाओं की शिक्षा राष्ट्र की प्राथमिकता है। अत: सभी शाखाओं / आरएसीपीसी से अनुरोध है कि वे इनके शिक्षा ऋण प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान करें बशर्ते,

- (अ) पाठ्यक्रम के प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन का सत्यापन किया जाए।
- (ब) हमारे शिक्षा ऋण के सभी नियम एवं शर्तें पूरी हो रहे हो।

सभी उपमहाप्रबंधक /सहायक महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/ शाखा प्रबंधक / सी.पी.पी.सी./ एम.पी.एस.टी. इस परिपत्र की विषय वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के ज्ञान हेतु और इसकी अनु पालना सुनिश्चित करने हेतु सूचित करें।

उप महाप्रबंधक (वै.एवं से.बैं)

## EDUCATION LOAN TO STUDENT'S OF JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR

The Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur has been established and incorporated in 2008. The University got the status and honor of become the First Private Women University of India.

University is member of Association of Indian Universities- AIU. University is recognized by UGC, BCI- Bar Council of India, CCH-Central Council of Homeopathy, PCI- Pharmacy Council of India, DEC- Distance Education Council, Tripartite committee of UGC, AICTC and DEC and many other as per requirement of Programmes.

The University is academically embraced with High Tech infrastructure with modernized equipments and Digital Library. The students are seeking education on all courses like All streams of Engineering, Management , Humanities, Pharmaceuticals Science, Architecture and Applied Arts, Law and Governanace , etc .

The University is banking with our Industrial Finance Branch Jaipur and enjoying credit facilities. It is reported that when students approach our branches for education loan some of our branches are insisting for verification of credentials/reputation of the University which leads to delay in the processing of proposals.

As the University is a dedicated Women University and the education of girl child is an area of National priority, we request all branches /RACPCs to consider the Education loan proposal favourably subject to:

- a) Verification of the approval by appropriate authority for the course.
- b) Fulfillment of terms and condition of our Education loan Schemes.

Dy. General Manager P&SB, NRI Business